



2026:AHC:127201

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 19773 वर्ष 2026

प्रदीप कुमार मौर्य..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : हरि शंकर, सुनील कुमार सिंह

प्रतिपक्षीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 45

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को जमानत आवेदन के मेमो में आवश्यक संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
3. प्रस्तुत जमानत आवेदन, थाना-सुरियावां, जिला-भदोही के केस अपराध संख्या-420 वर्ष 2025 में, धारा 303(2), 317(2), 317(4) बी.एन.एस. के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फँसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है।
5. आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है तथा उसका नाम सह-अभियुक्त संदीप गुप्ता @ मुन्ना तथा सुधीर सिंह @ ज्ञानू के इकबालिया बयान में प्रकाश में आया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सह-अभियुक्त सुधीर सिंह @ जानू को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-7797 वर्ष 2026 में दिनांक 27.02.2026 के आदेश द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है, जिसकी प्रति आवेदन के पृष्ठ संख्या-74 पर संलग्न की गई है। अन्य सह-अभियुक्त संदीप गुप्ता @ मुन्ना को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत आवेदन संख्या-7135 वर्ष 2026 में दिनांक 25.02.2026 के आदेश द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है, जिसकी प्रति आवेदन के पृष्ठ संख्या-65 पर संलग्न की गई है। आवेदक के आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण अनुपूरक शपथपत्र के प्रस्तर संख्या-3 में दिया गया है तथा वह दिनांक 13.05.2026 से जेल में निरुद्ध है।

6. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् संदीप गुप्ता @ मुन्ना तथा सुधीर सिंह @ जानू को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।
7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।
8. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् संदीप गुप्ता @ मुन्ना तथा सुधीर सिंह @ जानू को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न तो निरस्त किया गया है और न ही स्थगित किया गया है, और आवेदक दिनांक 13.05.2026 से जेल में निरुद्ध है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।
9. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
10. आवेदक- प्रदीप कुमार मौर्य, जो उपर्युक्त केस अपराध में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। साथ ही, रिहाई आदेश जारी किए जाने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा—



(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तब वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। यदि वह इस शर्त का उल्लंघन करता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, चाहे व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क/भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्धोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदक ऐसी उद्धोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क/भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(iv) आवेदक (1) वाद के उद्घाटन, (2) आरोप गठन तथा (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।



(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

15 जून, 2026

ए.पी. पांडे

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।